भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1189

03 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात विनिर्माण क्षमता

1189. श्री दुलू महतो :

श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड, विशेषकर धनबाद में इस्पात विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और इसे राष्ट्रीय और वैश्विक इस्पात बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का झारखड में इस्पात उद्योाग के विकास में सहायता करने और कच्चे माल और तैयाार उत्पादों की कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन (रेल, सड़क और पत्तन) और बिजली आपूर्ति जैसी अवसंरचना को किस प्रकार देने का विचार है; और

(ग) क्या झारखंड विशेष रूप से जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में स्टील कंपनियों को स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता देने और राज्य के निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की प्रोत्साहन नीतियां हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। विनिर्माण क्षमता बढ़ाने से संबंधित निर्णय उद्योग द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता, पत्तन से दूरी, लॉजिस्टिक आदि सहित प्रौद्योगिकीय-वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिया जाता है। सरकार द्वारा झारखंड सहित देश में इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देना और निवेश संबंधी विस्तार:-

   क. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) नीति का कार्यान्वयन।

   ख. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ करना। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिससे लगभग 24 मिलियन टन का डाउनस्ट्रीम क्षमता निर्माण और 14,760 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन ।

जारी....2/-

ग. केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2024-25 में घोषित 11,11,111 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय द्वारा अवसंरचनात्मक विस्तार पर बल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है।

ii. कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार और कच्चे माल की लागत को कम करना:-

क. फैरो निकेल जो एक कच्चा माल है पर आधारभूत सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना और इसे शुल्क मुक्त बनाना।

ख. बजट 2024 में फैरस स्क्रैप पर शुल्क संबंधी छूट को 31 मार्च, 2026 तक विस्तार करना।

ग. घरेलू स्तर पर उत्पन्न लौह स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

iii. आयात निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण:-

क. घरेलू इस्पात उद्योग को आयातों पर विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए आयातों की प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।

ख. उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाकर इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का शुभारंभ करना। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम प्रयोक्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की स्थिति के अनुसार, कार्बन इस्पात, मिश्रधातु इस्पात और स्टेनलेस इस्पात को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

iv. अन्य उपाय:-

क. शीघ्र सांविधिक मंजूरियों के लिए मंत्रालयों और राज्यों तथा अधिक अनुकूल शर्तों पर इस्पात विनिर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(ख) परिवहन और विद्युत आपूर्ति जैसी अवसंरचना का विकास एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है जो सामाजिक-आर्थिक सोच-विचारों, चल रही परियोजनाओं की देनदारियों, निधि की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों के आधार पर शुरू की जाती है। झारखंड राज्य में, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) की वर्तमान लंबाई 3,633 कि.मी. है, रेलवे लाइनों की लंबाई 3,070 कि.मी. है और विद्युत उपयोगिताओं की संस्थापित क्षमता 3002.50 मेगावाट है जो इस्पात सहित सभी उद्योगों के विकास में सहायता प्रदान करती है। झारखंड राज्य में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू होने के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) इस्पात मंत्रालय ने 'विशेष इस्पात' के विर्निमाण को बढ़ावा देने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित किया है, जो झारखंड राज्य सहित देश के भीतर इस्पात क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेगी।

****